आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06.08.19	(see below)	

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–51/2019

आशुतोष महतो –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–202, खाता नं0–01 प्लॉट नं0–116, रकवा–0.19 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि मुआवजा राशि आवेदक को नहीं दिया गया है तथा अन्य के नाम से पंचाट बनाया गया है। वाद स्वामित्व के विवाद से संबंधित है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि आवेदक के नाम से पंचाट नहीं बना है, तथा मुआवजा राशि का भुगतान ही नहीं किया गया है, वाद स्वामित्व से संबंधित है, जो आर्बिट्रेशन का मामला नहीं है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशेधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner